संख्या-2236 / 69-1-98-01 (एस.जे.) / 97टी.सी.

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 13 नवम्बर, 1998

नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग,

विषय : **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.आर. वाई.) के अन्तर्गत निर्धन महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना के लिए मार्ग निर्देश।**

महोदय,

प्रदेश के नगरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की अधिकांश महिलाएं निरक्षर, अज्ञान एवं अशक्त हैं। पारिवारिक आय में उनकी भूमिका नगण्य होने के कारण समाज में उचित स्थान व सम्मान से वह वंछित है। शहरी मलिन बस्तियों में निवास करने वाली ऐसी महिलाओं के सशक्तीकरण की परिकल्पना फलीभूत करने के लिए उनके आय-स्रोत बढ़ाने होंगे जिससे ऐसे परिवारों की क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकेगी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं की स्थिति अकेले रहने पर भेद्य (Uhnarable) होती है किन्तु संगठित होने पर सशक्त हो जाती है। अतः संगठित करने की आवश्यकता प्रबल है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना महिलाओं के सशक्त समुदाय बनाने के सिद्धान्त पर आधारित है। यह समुदाय बचत समूहों के निर्माण एवं प्रोत्साहन को गति प्रदान करेंगे। बचत समूहों के निर्माण के फलस्वरूप निर्धन महिलाओं को जब भी धन की आवश्यकता होगी, थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी उपलब्ध करायेगी। इससे स्वयं सहायता समूहों की (Self help group) एक संस्कृति पैदा होगी तथा गरीब महिलाओं के आर्थिक उन्नयन से समाज में भी सुख और शान्ति का संचार होगा। मलिन बस्तियों के समग्र विकास के लिए ऐसे समूह क्रियाशीलता प्रदान करने में सहायक होंगे।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक बचत, गरीब महिलाओं के सशक्तीकरण एवं स्वावलम्बी बनाने तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एस.जे.एस.वाई. अन्तर्गत डवाकुआ, सी.डी.एस. तथा इनसे अलग थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी के गठन हेतु कृपया पूर्व

में योजनान्तर्गत गठित नेवर हुड ग्रुप, नेवर हुड कमेटी एवं सी.डी.एस. के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी का कोई भी सदस्य यदि कम से कम रु. 500/- की बचत किसी निश्चित 12 माह हेतु सावधि रूप से जमा करता है तो उसे रु. 30 का अनुदान स्वास्थ्य/जीवन/दुर्घटना आदि अन्य बीमा स्कीम के रूप में देय होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य कम से कम रु. 750/- की बचत सावधि खाते में 12 माह तक जमा कराने में करती है, तो ऐसे सदस्य को कुल 60/-, जिसमें रु. 30/- सदस्य को स्वयं की बीमा हेतु तथा रु. 30/- पति को अथवा परिवार की छोटी लड़की के लिए स्वास्थ्य तथा बीमा स्कीम के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत दिया जा सकता है। थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी को रिवोल्विंग फण्ड उसके गठन के कम से कम एक वर्ष बाद अनुमन्य होगा। संगठन एक वर्ष से कार्यरत है का निर्णय, उस संगठन के अभिलेखों के निरीक्षण, सम्पादित बैठकों की संख्या/सदस्यों से चयनित किये गये ग्रुप के लिए धन के निरन्तर जमा होने तथा संगठन का भवन एवं सदस्यों के प्रशिक्षण में उसकी सहभागिता पर निर्भर होगा। रिवोल्विंग फण्ड सी.डी.एस. अध्यक्ष की संस्तुति पर संबंधित डूडा कार्यालय द्वारा एस.जे.एस.आर.वाई. अन्तर्गत निहित मद से देय होगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुबोध नाथ झा)
प्रमुख सचिव

संख्या-2236(1)/69-1-98-1 (एस.जे.)/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ।

(2) समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

(3) कार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त सचिव